

## दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय



### लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 (पिडपी)

#### पिडपी क्या है ?

- पिडपी भारत सरकार का एक संकल्प है !
- इसके अंतर्गत दुर्ग की गई सभी शिकायतों के शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है !

#### पिडपी शिकायत कैसे की जाती है ?

- सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत भेजी जाए और लिफाफे पर "पिडपी" लिखा होना चाहिए !
- शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे पर नहीं लिखा होना चाहिए अपितु बंद लिफाफे के अंदर पत्र में होना चाहिए !

#### शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश

- जो दस्तावेज नकलगत रूप से शिकायतकर्ता से संबंधित है या अन्य व्यक्तिगतों को संबंधित है, उनमें पहचान प्रकट हो सकती है !
- शिकायत नुकी स्थिति में वा सर्वबनिष्ठ पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए !
- शिकायत में पहचान प्रकट करने वाले दस्तावेज संलग्न नहीं करने चाहिए, यद्यपि उनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए जैसे: धार. ठ. आई के संलग्न प्राप्त दस्तावेज !
- लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पता छुट्टि के प्रयोजन से लिखा होना चाहिए !
- निम्न शिकायतों की छुट्टि प्राप्त नहीं होती है, उन्हें बंद कर दिया जाता है !
- अनाम / अज्ञात पत्रों पर प्रतिकार नहीं किया जाता है !

### सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023

अपनी शिकायतें लिखित रूप में भेजें :

सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग,  
सतर्कता भवन, ब्लॉक - ए  
जी पी ओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए,  
नई दिल्ली - 110023